**अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन करने वाला शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।**

**अभियुक्त के कब्जे से निर्मित / अर्धनिर्मित अवैध शस्त्र व शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं।**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी जनपद बदायूं के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी दातागंज के कुशल पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक अलापुर के नेतृत्व मे थाना अलापुर पुलिस द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री व भारी मात्रा मे नाजायज असलहो सहित 01 शातिर अभि० को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

प्रभारी निरीक्षक श्री धनंजय सिहं थाना अलापुर द्वारा अपराध व अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत एक अभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ कल्लू पुत्र प्रेमपाल निवासी ग्राम अठर्रा कुनिया थाना अलापुर जनपद बदायूँ को मय दो अदद पौनिया (एक 12 बोर व एक 315 बोर), 01 अदद तमंचा 12 बोर, 04 अदद तंमचा 315 बोर व 08 अदद अधबने तमंचा 315 बोर व शस्त्र बनाने के उपकरण आदि के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 162/2024 धारा 5/25 A ACT पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही कर पेशी हेतु माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण-

अवैध शस्त्र निमार्ण कर उन्हे आसपास के क्षेत्र मे कम दामों मे बेच कर लाभ कमाना।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

ओमप्रकाश उर्फ कल्लू पुत्र प्रेमपाल निवासी ग्राम अठर्रा कुनिया थाना अलापुर जनपद बदायूँ।

घटनास्थल, दिनांक व समय-

अलई नगला रोड पर बाल्मिकी शमशान भूमि के पास नाले की तरफ कस्बा ककराला थाना अलापुर दिनॉक- 28.03.2024 समय 23.50 बजे।

विवरण बरामदगी-

दो अदद पौनियां एक 12 बोर एक 315 बोर, एक अदद तमंचा 12 बोर, चार अदद तमंचा 315 बोर , 8 अदद तमंचे अधबने 315 बोर, छः बैरल (नाल)12 बोर, आठ बैरल(नाल) 315 बोर , तीन लोहे की बेहटी, दो अदद खोखा कारतूस ( एक अदद 12 बोर, एक अदद 315 बोर) तथा एक एक सडासी, एक प्लास ,दो छैनी, सात सुम्मा, एक रेती, एक रुखाना लकडी छेदने वाला, दो आरी ब्लेड एक तरफा, तीन आरी ब्लेड दो तरफा , दो सूजा नुकीले लोहे के, पांच स्प्रिंग, एक पत्ती का बण्डल लोहे का , एक आरी फ्रेम एक लोहे का, शिंकजा एक वर्गा ड्रिल मशीन,एक पंखा(धोकनी), चार लोहे की प्लेट (गाटर), एक सुम्मा गरारीनुमा , एक लोहे का रिन्च (लोहे को दबानेवाला), एक हथौडा, एक टुकडा रेगमाल, एक तेल की कुप्पी और लगभग एक किलो कोयला लकडी का।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 846/2015 धारा 4/25 A ACT - थाना अलापुर

2. मु0अ0सं0 427/2018 धारा 392, 411 भादवि – थाना सिविल लाइन

3. मु0अ0सं0 444/2018 धारा 392, 411 भादवि – थाना सिविल लाइन

सोशल मीडिया सेल,

बदायूँ।